

पटवारी रिपोर्ट  
 श्रीमान जी, हाल सेगरीगेरान नम्बरे मे गलत नम्बर अंदाजी से खता नं 3646 रकबा 0.25 किलो मी. 3 व ख. नं 3646/4631 रकबा 0.01 किलो मी 2 को आपस में अदलाबली कर दिया गया है जबकि पूर्व नम्बरे मे नम्बर अंदाजी अनुसार ख. नं 3646 के खान पर 3646/4631 व 3646/4631 के खान पर 3646 नम्बरे मे अंकित है। अतः गलत नम्बरे अनुसार हाल नम्बरे मे 3646 के खान पर 3646/4631 व 3646/4631 के खान पर 3646 लिखा जाना उचित होगा। जमाबंदी मे उक्त खतों का रकबा व खान सही दर्ज है।

अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी, पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न गलत राजस्व नकशा नकल के अनुसार बतखान राजस्व नकशा में दुरुस्ती किया जाना उचित है।  
 महेश्वरी 26/9/25  
 तिलाना

तहसीलदार की रिपोर्ट

द.द. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की जांच की अधिसूचना की जाती है।

शिविर प्रभारी

2025  
 492

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) तिलाना

दिनांक:- 26-9-25

क्रमांक / 182

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 406 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	शत पटवारी रिपोर्ट अनुसार			पटवारी रिपोर्ट अनुसार दुरुस्त किया जाये।		

क्रमांक:- 5055-56

दिनांक:- 26-9-25



प्रमाणित :- 1. तहसीलदार नसीराबाद की पालनाधीन नसीराबाद, जिला अजमेर  
 2. आदेश पत्रावली।  
 प्रभारी अधिकारी एवं संपादन अधिकारी